

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**  
**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं0 4107**  
**20 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**  
हॉलिडे होम का निर्माण

4107. श्री राजीव सातवः  
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः  
श्रीमती सुप्रिया सुलेः  
डॉ. जे. जयवर्धनः  
श्री धनंजय महाडीकः  
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हॉलिडे होम और प्रवासाधीन अधिकारी हॉस्टल/अतिथि गृहों की स्थान/राज्य-वार संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है तथा क्षमता कितनी है;

(ख) उन हॉलिडे होम और प्रवासाधीन अधिकारी होस्टलों/अतिथि गृहों का स्थान और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक हॉलिडे होम का निर्माण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन शहरों में, जहां हॉलिडे होम/अतिथिगृह उपलब्ध नहीं हैं, आधिकारिक यात्रा अथवा अवकाश-यात्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकारी अधिकारियों हेतु लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर और अधिक हॉलिडे होम का निर्माण करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**  
**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) और(ख): आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन देश में 20 हॉलिडे होम्स तथा 46 टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल/गेस्ट हाऊस हैं। इनमें से 19 हॉलिडे होम्स तथा 35 टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल ऑनलाइन बुकिंग के तहत हैं। उनकी राज्यवार स्थिति और क्षमता (ऑनलाइन बुकिंग के तहत कवर होने वाले सहित) का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** पर संलग्न है ।

(ग): जी, हां।

(घ) और (ड.): जिन स्थानों पर कोई भी हॉलिडे होम/गेस्ट हाऊस उपलब्ध नहीं हैं, उन स्थानों सहित 19 नए हॉलिडे होम्स/टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टलों/गेस्ट हाऊसों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया जा चुका है। इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

दिनांक 20.3.2018 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4107 के भाग  
(क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हॉलिडे होम्स/टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल्स/अतिथि गृह का ब्यौरा (स्थान/राज्यवार और क्षमता)

हॉलिडे होम्स(एचएच)/ टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल्स / अतिथि गृह की संख्या व राज्य	हॉलिडे होम्स(एचएच)/ टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल्स (टीओएच)	स्थान और पता	क्षमता (कुल कमरे)	क्या ऑनलाइन बुकिंग के तहत है अथवा नहीं
उत्तर प्रदेश	एचएच	सिकंदरा, आगरा	14	जी, हां
	टीओएच	कार-कुंज आगरा	4	जी, नहीं
	टीओएच	संजय प्लेस, आगरा	3	जी, हां
	टीओएच	महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद	4	जी, हां
	एचएच	सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ	22	जी, हां
	टीओएच	दीन दयाल पुरम, बरेली	4	जी, हां
	टीओएच	चांदमारी, लमही, वाराणसी	4	जी, हां
राजस्थान	एचएच	आगरा गेट, अजमेर	42	जी, हां
	एचएच	विद्याधर नगर, जयपुर	46	जी, हां
	एचएच	बेरा रोड, जैसलमेर	13	जी, हां
	टीओएच	वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाऊस रोड, जोधपुर	4	जी, हां
	टीओएच	दिलवाड़ा रोड, जिला सिरोही, माउंट आबू	4	जी, हां
	एचएच	सेक्टर – 14, सी ए सर्किल के नजदीक, उदयपुर	15	जी, हां
गोवा	एचएच	बमबोलिम, पणजी रोड, गोवा	13	जी, हां
	टीओएच	पणजी मडगांव रोड, गोवा	8	जी, हां
पंजाब	टीओएच	राम तीरथ नगर, अमृतसर	2	जी, नहीं
	टीओएच	माधोपुर	4	जी, हां
	टीओएच	सेक्टर 7बी, चंडीगढ़	20	जी, हां
तमिलनाडु	एचएच	कूडलपुडूर, अनयूर(पीओ) मदुरई	20	जी, हां
	एचएच	कोवलम रोड, कन्याकुमारी	22	जी, हां
	एचएच	उडगमंडलम, नीलगिरी, उंटी	25	जी, हां

मद्रास	टीओएच	शास्त्री भवन, चेन्नई	10	जी, हां
	टीओएच	राजाजी भवन, चेन्नई	20	जी, हां
कर्नाटक	एचएच	टी. नरसीपुर रोड, सिद्धार्थ नगर, मैसूर	44	जी, हां
आंध्र प्रदेश	टीओएच	डोमलूर, बंगलौर	2	जी, नहीं
	टीओएच	कोरमंगला, बंगलौर	39	जी, हां
	एचएच	आईएस महल रोड, नेहरू रोड, तिरुपति	54	जी, हां
	टीओएच	आटोनगर, विजयवाड़ा	6	जी, हां
तेलंगाना	टीओएच	कोटी निर्माण भवन, हैदराबाद	8	जी, हां
	टीओएच	क्वाडी गुडा, हैदराबाद	7	जी, हां
उत्तराखंड	एचएच	साउथवुड कॉटेज, आईटीबीपी, कैम्पस, मसूरी	5	जी, हां
	टीओएच	लैंडोर बाजार, मसूरी	4	जी, नहीं
	एचएच	खुर्पाताल, नैनीताल	13	जी, हां
	टीओएच	सुभाष चौक (क्लॉक टावर पलटन बाजार के नजदीक), देहरादून	12	जी, हां
हिमाचल प्रदेश	एचएच	माल रोड, ग्रांड होटल, शिमला	120	जी, हां
	टीओएच	आईटीबीपी कैम्प, बवेली, कुल्लू	3	जी, नहीं
अंडमान व निकोबार	एचएच	रांची बस्ती, लाम्बा लाइन, पोर्टब्लेयर	15	जी, हां
केरल	टीओएच	पुल्लीपड्डी, कठारीकडऊ, कोचीन	21	जी, हां
	टीओएच	पुनकुलम, वेल्लयानी, त्रिवेंद्रम	9	जी, हां
	टीओएच	दत्त सा मिल रोड, कल्लई(पीओ) कोझीकोड, कालीकट	5	जी, हां
दिल्ली	एचएच	वेस्ट किदवई नगर, दिल्ली	20	जी, हां
	टीओएच	कर्जन रोड, दिल्ली	47	जी, हां
	टीओएच	अलीगंज, दिल्ली	20	जी, नहीं
	टीओएच	हुडको प्लेस, दिल्ली	10	जी, हां
	टीओएच	एशिया हाऊस, दिल्ली	30	जी, हां
गुजरात	टीओएच	सेक्टर - 6/डी, सिविल अस्पताल के पास, गांधी नगर	5	जी, हां
	टीओएच	सेक्टर - 6/डी, सिविल अस्पताल के पास, गांधी नगर	6	जी, हां
सिक्किम	एचएच	(जू प्वाइंट वाजरा सिनेमा हाल के	15	जी, हां

(टीओएच-1)		पास), गंगटोक		
	टीओएच	जीरो प्वाइंट के पास, गंगटोक	8	जी, नहीं
असम	टीओएच	नारंगी रोड, गुवाहाटी (मुख्य भवन)	7	जी, हां
	टीओएच	नारंगी रोड, गुवाहाटी (हॉस्टल ब्लॉक)	4	जी, हां
मेघालय	टीओएच	धनखेती, सीपीडब्ल्यूडी, आफिस रेजिडेंसियल काम्पलेक्स, शिलॉंग	6	जी, हां
मध्य प्रदेश	टीओएच	सिटी सेंटर, ग्वालियर	2	जी, नहीं
	एचएच	नयन नर्मदा टैंपल के नजदीक, अमरकंटक (लीज आधार पर एमपीटीडीसी के उपयोगार्थ)	70	जी, नहीं
	टीओएच	दक्षिण मैदान, नीमच	2	जी, नहीं
जम्मू व कश्मीर	टीओएच	सतवारी कैंट, जम्मू	10	जी, हां
	टीओएच	धार रोड, उधमपुर	2	जी, नहीं
पश्चिम बंगाल	टीओएच	आचार्य जे सी बोस रोड, कोलकाता	56	जी, हां
	टीओएच	निर्माण भवन, माटीगारा, सिलिगुड़ी	4	जी, हां
महाराष्ट्र	टीओएच	चर्च गेट, मुंबई	11	जी, हां
	टीओएच	हैदराबाद इस्टेट, मुंबई	36	जी, हां
	टीओएच	एन्टॉप हिल्स, मुंबई	5	जी, नहीं
	टीओएच	सेमिनारी हिल्स, बंगला नं. 3 नागपुर	14	जी, हां
	टीओएच	गांधी नगर, नासिक	4	जी, हां
	टीओएच	मुकुंद नगर, पुणे	3	जी, हां
बिहार	एचएच	दीघा, पटना	28	जी, हां

**अनुलग्नक-II**

दिनांक 20.3.2018 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4107 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हॉलिडे होम्स/टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल्स/अतिथि गृह, जिनके निर्माण का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा उठाए गए कदम का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्थान	की गई कार्रवाई
1.	तमिलनाडु	रामेश्वरम	का.जा. सं. डी-11016/40/2015-रीजन दिनांक 18.09.2015 द्वारा आर्किटेक्ट, केलोनिवि, चेन्नई को रामेश्वरम में हॉलिडे होम के निर्माण हेतु ले-आउट प्लान का अनुमोदन/एनओसी दे दिया गया है।
		कोडईकनाल	का.जा. सं. डी-11016/4/2009-रीजन दिनांक 27.3.2009 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु भूमि की खरीद के लिए केलोनिवि को एनओसी दे दिया गया है।
2.	हिमाचल प्रदेश	कसौली	का.जा. सं. डी-11016/10/2010-रीजन दिनांक 05.03.2014 द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	का.जा. सं. डी-11016/47/2015-रीजन दिनांक 19.06.2015 द्वारा केलोनिवि को हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		विशाखापटनम	का.जा.सं. डी -11016/47/2015-रीजन दिनांक 19.06.2015 द्वारा केलोनिवि को हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
4.	तेलंगाना	हैदराबाद	का.जा. सं. डी-11016/46/2015-रीजन दिनांक 19.06.2015 द्वारा केलोनिवि को हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		यादगिरी गुट्टा	का.जा. सं. डी-11016/46/2015-रीजन दिनांक 19.06.2015 द्वारा केलोनिवि को हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।

		श्रीसेलम	का.जा. सं. डी-11016/46/2015-रीजन दिनांक 19.06.2015 द्वारा केलोनवि को हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
5.	केरल	गुरुव्याउर	का.जा.सं. डी-11016/8/2016-रीजन दिनांक 29.02.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		त्रिचूर	का.जा.सं. डी-11016/8/2016-रीजन दिनांक 29.02.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		त्रिवेंद्रम	का.जा. सं. डी-11016/9/2016-रीजन दिनांक 29.02.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
6.	ओडिशा	पुरी	का.जा. सं. डी-11016/13/2016-रीजन दिनांक 05.05.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		भुवनेश्वर	नयापल्ली, यूनिट-VIII, भुवनेश्वर में निरीक्षण बंगला निर्माणाधीन है।
7.	लक्षद्वीप	कावारत्ती	का.जा. सं. डी-11016/14/2016-रीजन दिनांक 05.05.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
8.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	का.जा. सं. डी-11016/16/2016-रीजन दिनांक 20.05.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
9.	झारखंड	देवघर	का.जा. सं. डी-11016/19/2016-रीजन दिनांक 13.07.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
10.	छत्तीसगढ़	नया रायपुर	का.जा. सं. डी -11016/38/2016-रीजन दिनांक 28.11.2016 द्वारा अतिथि गृह के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर	का.जा. सं. डी -11016/15/2012-रीजन दिनांक 20.03.2017 द्वारा इंदौर में उसी भूमि पर हॉलिडे होम के निर्माण और बंगला सं. 15 को गिराने हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।

12.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	का.जा. सं. डी-11016/15/2017-रीजन दिनांक 24.07.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।
		इलाहाबाद	का.जा. सं. डी-11016/15/2017-रीजन दिनांक 24.07.2016 द्वारा हॉलिडे होम के निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है।